[2022] 8 S.C.R.756

मेसर्स. मीनाक्षी सोलर पावर प्रा. लि.

बनाम

मेसर्स अभ्युदय ग्रीन इकोनॉमिक ज़ोन्स प्रा. लि.

और अन्य

(नागरिक अपील संख्या 8818 / 2022)

23 नवम्बर, 2022

[बी. आर. गवाई और बी. वी. नगराथना, न्यायमूर्तिगण]

मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996:: धारा 11(6) - मध्यस्थ की नियुक्ति - अनुबंध का नवीकरण- प्रभाव - अपीलकर्ता ने प्रतिवादी संख्या 1 के साथ एक साझा खरीदी समझौता (SPA) में दाखिला किया, साथ ही प्रतिवादी संख्या 2 और 3 (प्रतिवादी संख्या 1 के प्रमोटर) के साथ - जो प्रतिवादी संख्या 1 के विद्युत परियोजना को खरीदने के लिए व्यापारी ने 100% मालिकाना और प्राधिकृति शेयर्स की खरीद की थी, प्रतिवादी संख्या 1 के ऋणों को संभालकर और विपणिक्ता संख्या 2 और 3 को शेयर खरीदने के लिए बकाया राशि भुगतान करके - इसके बाद, एक तिसरा पक्ष समझौता जिसमें प्रतिवादी नंबर 4 के माध्यम से अपीलकर्ता" द्वारा किया गया - समझौता ने एस पी ए के अंतर्गत बढ़ोतरी की और एस पी ए के शर्तों के अनुसार प्रतिवादी संख्या 2 और 3 को भुगतान किया - एस पी ए के अतिरिक्त एक आवंटन भी हस्ताक्षर किया गया जिसमें प्रतिवादी संख्या 4 ने परियोजना कंपनी के हस्तांतरण को सुधारने और बेहतर बनाने के लिए प्रतिवादी संख्या 1 से 3 को कुछ राशियों को भेजने की सहमति दी - हालांकि, पक्षों के बीच विवाद पैदा हो गया - एस पी ए के अंतर्गत विवाद धारा के तहत एक आवेदन द्वारा अपीलकर्ता एक मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए 11(6) धारा - उच्च न्यायालय ने पक्षों के बीच संविदा के नवीकरण के आधार पर आवेदन को खारिज कर दिया। - अपील पर, यह निर्णय: उच्च न्यायालय ने पक्षों के बीच शेयर खरीद समझौते के नवीकरण पर निष्कर्ष पहुंचाकर धारा 11(6) के तहत याचिका को खारिज करने में सही नहीं था क्योंकि उक्त पहलु का पक्षों के बीच विवाद पर प्रभाव पड़ेगा- इस प्रकार, उक्त मुद्दे पर भी फैसला करने के लिए यह विचारक को छोड़ देना चाहिए - उच्च न्यायालय द्वारा पारित आलोचित निर्णय और आदेश रद्द और निरस्त किए गए - भारत के सर्वोच्च न्यायालय के

पूर्व न्यायाधीश को पक्षों के बीच विवादों को निर्णयित करने के लिए एकल मध्यस्थ के रूप में नियुक्त किया गया है ताकि पक्षों के बीच विवादों का निर्णय कर सकें।

नैशनल इंश्योरेंस कंपनी लि. बनाम बोघारा पॉलीफैब प्रा. लि. **(2009) 1 SCC 267 : [2008] 13 SCR 638; -** */ एस.बी.पी एंड कंपनी बनाम पटेल इंजीनियरिंग लि.* **(2005) 8 SCC 618; -** *विद्या द्रोलिया बनाम दुर्गा ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन* **(2021) 2 SCC 1 : 2021 (6) JT 460; -** *इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लि. बनाम एनसीसी लि.* **2022 SCC OnLine SC 896; -** *यूनियन ऑफ इंडिया बनाम किशोरीलाल गुप्ता और ब्रदर्स* **(1960) 1 SCR 493; - यंग एचीवर्स** *बनाम आईएमएस लर्निंग रिसोर्सेज प्रा. लि.* **(2013) 10 SCC 535 : [2013] 2 SCR 252; -** *एम.बी.एस इम्पेक्स प्रा. लि. बनाम मिनरल्स और मेटल्स ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन* **(2020) 5 ALD 185;** *दामोदर वैली कॉर्पोरेशन बनाम के.के. कर* **(1974) 1 SCC 141: [1974] 2 SCR 240; - संदर्भित किया गया।**

मामला कानून संदर्भ

[1960] 1 SCR 493	**को पैरा**	**12.5 में संदर्भित किया गया।**
[2013] 2 SCR 252	**को पैरा**	**12.5 में संदर्भित किया गया।**
[2008] 13 SCR 638	**को पैरा**	**14 (a) में संदर्भित किया गया।**
[2005] 4 Suppl. SCR 688	**को पैरा**	**14 (a) में संदर्भित किया गया।**
[1974] 2 SCR 240	**को पैरा**	**18 में संदर्भित किया गया।**

नागरिक अपील प्राधिकृति: नागरिक अपील संख्या 8818/2022।

आर्बिट्रेशन आवेदन संख्या 55/2020 के मामले में, तेलंगाना राज्य के हैदराबाद के उच्च न्यायालय के 12.02.2021 के फैसले और आदेश से

अपीलकर्ता के लिए: म/स मीनाक्षी अरोड़ा, वरिष्ठ प्रतिनिधि, एस.वी.एस. चौदरी, येलमंचिलि शिवा संतोष कुमार, रुद्रजीत घोष, तरुण गुप्ता, अभिषेक शर्मा, प्रतिनिधित्वकर्ता।

प्रतिवादी के लिए: डी. नरेंद्र नायक, तल्हा अब्दुल रहमान, एन. शाज़ ख़ान, हर्ष वर्धन केदिया, बिलाल ए. ख़ान, प्रतिनिधित्वकर्ता।

न्यायालय का निर्णय सुनाया गया

नागरत्ना, न्यायमूर्ति

1. अनुमति प्रदान की गई ।

2. यह नागरिक अपील इस द्वारा दायर की गई है कि 2020 की विवाद-मध्यस्थता और सुलह-विचार अधिनियम, 1996 की धारा 11(6) के तहत इस प्रकार की आवेदन को तेलंगाना राज्य के हैदराबाद के उच्च न्यायालय द्वारा 12.02.2021 को दिए गए विवाद-मध्यस्थता आवेदन संख्या 55/2020 में किया गया था जिसके अनुसार उच्च न्यायालय ने आवेदक द्वारा दायर की गई आवेदन को खारिज किया था।

3. यहाँ अपीलकर्ता - मेसर्स मीनाक्षी सोलर पावर प्रा. लि. विद्युत उत्पादन का व्यापार कर रही है, जिसका अधिकरमिक विद्युत/सौर/जलविद्युत प्लांट्स को चलाने और संचालित करके विद्युत उत्पादन करने में लगी हुई है। प्रतिवादी नंबर 1 - मेसर्स अभ्युदया ग्रीन इकोनॉमिक ज़ोन्स प्रा. लि. तेलंगाना के रंगा रेड्डी ज़िले, कुम्मेरा गाँव, चेवेला मंडल में 20 एकड़ में स्थित 4.128 मेगावॉट सोलर पीवी पावर प्रोजेक्ट के मालिक हैं। प्रतिवादी नंबर 2 और 3 प्रमोटर हैं और प्रतिवादी नंबर 1 कंपनी के 100% शेयरहोल्डर हैं। प्रतिवादी संख्या 4- म/स. मीनाक्षी पावर प्राइवेट लिमिटेड अपीलकर्ता की सहयोगी संगठन है और वर्तमान मामले में एक प्रोफार्मा प्रतिवादी है, जबकि अन्य तीन प्रतिवादी, वादी प्रतिवादी हैं।

4 संक्षेप में कहा जाए, मामले की तथ्य यह हैं कि प्रतिवादी नंबर 1 की विद्युत प्रोजेक्ट विद्युत उत्पादन कर रही है और उसके पास तेलंगाना स्टेट सदर पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के साथ बीस साल की पॉवर पर्चेस अग्रीमेंट है। यह पावर प्रोजेक्ट हायदराबाद के फिल्म नगर शाखा के कॉर्पोरेशन बैंक द्वारा एक टर्म लोन के रूप में आंशिक रूप से वित्तपोषित किया गया था, खाता संख्या 560821000017646, और मेसर्स आईएफसीआई वेंचर कैपिटल फंड्स लिमिटेड (जिसे आगे 'IFCI वेंचर कैपिटल' के रूप में संदर्भित किया जाता है) द्वारा भी अंतरिक्षणीय कनवर्टिबल डिबेंचर्स के रूप में 14,68,000/- रुपये प्रति प्रति रुपये से 100% श्रेणी जोड़कर कुल 14,68,00,000/- रुपये (चौदह करोड़ इकत्तीस लाख) के एक वेंचर कैपिटल फंड के तहत वित्तपोषित किया गया था, जो अनुसूचित जातियों के लिए है। चूंकि प्रतिवादी संख्या 1 के लिए वित्तीय संस्थानों से प्राप्त ऋण की सेवा करना कठिन था, इसलिए प्रतिवादी

संख्या 2 और 3, इसके प्रचारक, ने कहा पावर परियोजना बेचने का निर्णय लिया। अपीलकर्ता ने कहा पावर परियोजना खरीदने में रुचि दिखाई और इसलिए 24.09.2018 को प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के साथ एक शेयर खरीद समझौता में प्रवेश किया, जिसमें प्रतिवादी संख्या २ और 3 ने प्रतिवादी संख्या १ कंपनी की 100% स्वामित्व बिक्री में सहमत हो गए, जिसमें इसकी सभी संपत्तियां शामिल हैं जैसे कि भूमि, इमारतें, पौध, उपकरण सहित तेलंगाना राज्य दक्षिणी पावर वितरण कंपनी लिमिटेड के साथ हस्ताक्षर किए गए पावर पर्चेज समझौते का संचालन, 29 करोड़ रुपए (रुपए पच्चीस करोड़) की अनिवार्य रूप से जमा पूर्चेज मूल्य के लिए। अपीलकर्ता ने प्रतिवादी संख्या 1 कंपनी के 100% इक्विटी शेयर और 100% प्राथमिकता शेयर खरीदने में सहमत हो गए, इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 1 कंपनी के ऋण को संभालने और विक्रेता अर्थात प्रतिवादी संख्या 2 और 3 की ओर से नेट इक्विटी मूल्य की ओर संतुलन राशि का भुगतान करने के तरीके से।

5. बाद में, एक त्रैतीय समझौता प्रविष्ट किया गया था अपीलकर्ता द्वारा इसके संबंधित अर्थात प्रतिवादी संख्या 4 (तीसरे भाग की पक्षधर) के माध्यम से प्रतिवादी संख्या 2 और 3 (दूसरे भाग के पक्षधर) और आईएफसीआई वेंचर कैपिटल (पहले भाग के पक्षधर) के साथ 03.04.2019 को, 24.09.2018 की तारीख के शेयर खरीद समझौते की क्रियावली और प्रतिवादी संख्या 2 और 3 को उक्त शेयर खरीद समझौते के अनुसार 50 लाख रुपए (रुपये पचास लाख) की भुगतान को दर्ज करते हुए।

6. इसके बाद, 10.04.2019 को प्रतिवादी संख्या 1 से 3 और प्रतिवादी संख्या 4 के बीच शेयर खरीद समझौते की एक परिशिष्ट पर हस्ताक्षर किए गए, जिसमें बाद वाले ने प्रतिवादी संख्या 1 से 3 को 1.65 करोड़ रुपए प्रेषित करने की सहमति दी, ताकि कॉर्पोरेशन बैंक के साथ ऋण को नियमित कर सके और परियोजना कंपनी के हस्तांतरण में सहायक हो सके।

7. इसके बाद, अपीलकर्ता और प्रतिवादी के बीच विवाद उत्पन्न हुआ और अपीलकर्ता ने वाणिज्यिक न्यायालय, सिटी सिविल कोर्ट, हैदराबाद में धारा 9 के तहत सीओपी संख्या 27/2020 के तहत आवेदन दायर किया, जिसमें वह प्रतिवादियों को अपने शेयर्स को अलग न करने के लिए रोकने की मांग की। वाणिज्यिक न्यायालय ने 19.06.2020 को अपीलकर्ता की दिशा में एक अंतरिम निषेधादिक्षिप जारी करने का आदेश दिया।

8. इसके बाद, अपीलकर्ता ने 22.06.2020 को एक पत्र भेजकर शेयर खरीद समझौते की प्रावधान 10 के तहत विवाद सुलझाने के एक साधन के रूप में विवाद निर्धारण के लिए मध्यस्थता खंड को सक्रिय करने के रूप में आरोपित अपीलकर्ता यहाँ के अपीलाकर्ता ने डॉ.

पी. वी. अमरनाध प्रसाद को, जो कि हैदराबाद के इंजीनियर और तकनीकी-कानूनी सलाहकार हैं, अपना मध्यस्थ नियुक्त किया और ऐसे पत्र के माध्यम से प्रतिवादी संख्या 1 से 3 से उनके प्रतिनिधि मध्यस्थ नियुक्त करने और पक्षों के बीच विवाद पर फैसला सुनवाने के लिए तीन सदस्यों की मध्यस्थ समिति गठित करने का अनुरोध किया। उपर्युक्त सूचना का कोई प्रतिसाद न प्राप्त होने पर, पीड़ित अपीलाकर्ता ने 1996 के अधिनियम की धारा 11(6) के तहत एक आवेदन दाखिल किया जो उच्च न्यायालय द्वारा पास किए गए आलोचित निर्णय और आदेश द्वारा खारिज हो गया।

9 उक्त आवेदन के खारिज होने के बाद, अपीलकर्ता ने वर्तमान अपील के रूप में इस न्यायालय के पास आया है।

10. हमने म/स मीनाक्षी अरोड़ा, ज्ञानी वरिष्ठ काउंसेल को सुना है, जिन्होंने उनके आदेशित कॉउंसेल द्वारा दिये गए निर्देशों के अनुसार प्रतिवादी के लिए प्रतिवादियों के रूप में प्रस्तुत किया है और श्री डी. नरेंद्र नायक, प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के लिए ज्ञानी काउंसेल, और रिकार्ड पर मौजूद आवेदन का अवलोकन किया।

11 अपीलकर्ता के ज्ञानी वरिष्ठ काउंसेल ने कहा कि उच्च न्यायालय ने 1996 के अधिनियम की धारा 11(6) के तहत की आवेदन को खारिज करने में गंभीर भूल की है और कि उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले को इस न्यायालय द्वारा विचार किया जाना चाहिए। अपीलकर्ता के ज्ञानी वरिष्ठ काउंसेल के प्रस्तावनाएँ निम्नलिखित हैं:"

11.1 उच्च न्यायालय ने 1996 के अधिनियम की धारा 11 के तहत की एक आवेदन पर निर्धारित करते समय समझ नहीं पाया कि ऐसे सूचित/पूर्वानुमानित समझौते की बात करते समय गलती हुई है और उसने उस धारा के तहत सीमित न्यायिक हस्तक्षेप की प्रकृति को समझने में असमर्थ रहा।

11.2 उच्च न्यायालय ने जटिल तथ्यों और दस्तावेज़ों के सवालों की जाँच करने का प्रयास करने में गलती की है और यह वास्तविक रूप से मध्यस्थ समिति की तरह कार्य किया है, जिसके समक्ष सूचित करने और प्रमाणित करने की जरूरत थी, अगर ऐसा मामला उत्पन्न हुआ था।

11.3 यह कि उच्च न्यायालय ने नवीकरण के तत्वों की जाँच नहीं की है और उस संदर्भ में एक गलत निष्कर्ष पर पहुँचाई है, जब उसने उक्त मुद्दे को सतही तरीके से देखा। उच्च न्यायालय नहीं समझ पाया कि त्रैपक्षीय समझौता केवल आईएफसीआई वेंचर कैपिटल के लिए एक वसूली तंत्र के रूप में कार्य करने के

उद्देश्य और अभिप्रेत से किया गया था और किसी भी तरह से कल्पना की जाने वाली खिचाव में यह 24.09.2018 की शेयर खरीददारी समझौते को प्रतिस्थापित और नवीकृत करने वाले कार्य के रूप में नहीं कहा जा सकता है।

11.4 यह कि उच्च न्यायालय ने यह देखने में विफल रहा कि त्रैपक्षीय समझौता और शेयर खरीददारी समझौते की पूरक आईएफसीआई वेंचर कैपिटल को चुकाये जाने वाले बकाया के संबंध में संतुष्ट करने के लिए सीमित उद्देश्य था और यह नहीं कहा जा सकता कि इसने शेयर खरीददारी समझौते को प्रतिस्थापित किया। त्रैपक्षीय समझौता और पूरक में 24.09.2018 की शेयर खरीददारी समझौते को नवीकृत या प्रतिस्थापित करने का कोई जिक्र नहीं है। जब त्रैपक्षीय समझौते के साथ देखा जाता है तो शेयर खरीददारी समझौते के बीच में प्रतिस्थापित होने वाली धारा या बाद में धारा में संशोधन है।

11.5 पुनरावृत्ति की जाती है कि आईएफसीआई वेंचर कैपिटल के साथ त्रैपार्टाइट समझौता का केवल उद्यमदाता के हितों की सुरक्षा के लिए था ताकि वह प्रतिवादी संख्या 1 के खिलाफ बलपूर्वक कार्रवाई न करे। त्रैपार्टाइट समझौता में इसमें अपीलकर्ता और उसके संबद्ध प्रतिवादी संख्या 4 और प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के बीच अंतर-से अधिकार और कर्तव्यों का सम्झाने के लिए कोई धारा नहीं था और इसलिए यह शेयर खरीद समझौते को नवीनत न करने के योग्य था, जो 24.09.2018 को दिनांकित था।

11.6 कि उच्च न्यायालय ने न सिर्फ दोनों पक्षों की गठित इच्छा, व्यापारिक लेन-देन की प्रकृति और उद्योग के लेन-देन के उद्देश्य, दस्तावेज़ और साक्षायों की समझने का प्रयास नहीं किया, बल्कि पक्षों के व्यवहार और पत्रकार्य को भी नहीं समझा।

12. उल्लिखित बाजु, प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के लिए दिखाई देने वाले वकील ने उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश और निर्णय का समर्थन किया और यह दावा किया कि इस न्यायालय की किसी प्रकार की हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के लिए शिक्षित वकील के प्रस्तावनाएँ निम्नलिखित हैं:

12.1 कि इस अपीलकर्ता ने यहाँ से प्रतिवादी संख्या 2 और 3 से शेयर्स की खरीदी की पूरी भुगतान में पूरी तरह से असफल रही और अपने दायित्व को पूरा करने में भी असफल रही, शेयर खरीद समझौते के समापन होने के बाद, अर्थात्,

10.11.2018 को, जब शेयर खरीद समझौते की धारा 8 के प्रावधान के कारण शेयर खरीद समझौते का समय सीमा समाप्त हो गया ।

12.2 इसे ध्यान में रखते हुए कि शेयर खरीददारी समझौते के समाप्त होने के चार महीने बाद, एक नया त्रैपक्षीय समझौता किया गया था, जिसका उद्देश्य यचिकाकर्ता को प्रतिवादियों को चुकाए गए 50 लाख रुपये की राशि वापस प्राप्त करने में मदद करना था। त्रैपक्षीय समझौते के अनुसार, पक्षों के बीच में एक पूरक समझौता किया गया जिसमें सहमति थी कि बिजली परियोजना की बिक्री के लिए विचार त्रैपक्षीय समझौते की शर्तों और शर्तों के तहत निर्धारित समय सीमा में भेजा जाएगा। पूरक में 24.09.2018 की शेयर खरीददारी समझौते की किसी भी शर्त का पालन करने का कोई जिक्र नहीं है और यह भी सही है क्योंकि 03.04.2019 को किया गया त्रैपक्षीय समझौता इसे नवीकृत कर दिया था।

12.3 कि शेयर खरीद समझौते और त्रैपार्टाइट समझौता दो अलग और स्वतंत्र समझौते हैं जो पूरी तरह से विभिन्न पक्षों द्वारा निष्पादित होते हैं, जिनमें विभिन्न शर्तें और शर्तें होती हैं, हालांकि विषयवस्तु यानी, बेचने की विचार की गणना और हिस्सेदारों की संख्या दो समझौतों में समान होती है। त्रैपार्टाइट समझौता ने शेयर खरीद समझौते को नवीनत किया है। शेयर खरीद समझौते में शर्तों, शर्तों और समय सीमाओं में महत्वपूर्ण परिवर्तन दिखाते हैं, जो पक्षों को उस से त्रैपार्टाइट समझौते में अपनाया गया और शेयर खरीद समझौते को नवीनत कर दिया गया।

12.4 उच्च न्यायालय ने 1996 के अधिनियम की धारा 11 के तहत अपने अधिकार के भीतर पूरी तरह से कार्य किया है और एक मध्यस्थ समिति की भूमिका में कदम नहीं रखा है। इस संदर्भ में ***विद्या ड्रोलिया बनाम दुर्गा ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन*** **(2021) 2 SCC 1** का संदर्भ दिया गया। प्रतिवादी ने इस बार में ***भारतीय ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड बनाम. एनसीसी*** **Ltd. 2022 SCC OnLine SC 896** पर निर्भर किया कि अधिनियम के तहत किसी न्यायालय को मध्यस्थता प्रावधान की केवल अस्तित्व के पार देखने के लिए कोई बाध्यता नहीं है। उच्च न्यायालय ने इस मामले में मध्यस्थता समझौते के अस्तित्व की जाँच करने में पूरी तरह से अधिकारिक रूप से था और इस निष्कर्ष पर पहुंचने में कि शेयर खरीद समझौता त्रैतीय समझौते द्वारा नवीकरण और प्रतिस्थापित किया गया था।

12.5 कि मध्यस्थता प्रावधान शेयर खरीद समझौते का हिस्सा/घटक होता है और इसके साथ ही यह खो जाता है और त्रैपार्टाइट समझौता के कोई भी तरीके का विवाद समाधान नहीं करता है। उच्च न्यायालय ने सही तरीके से यह कहा कि नोवेशन के कारण शेयर खरीद समझौते के तहत मध्यस्थता का आवाहन अस्वीकार्य था। इस न्यायालय ने स्पष्ट रूप से यह सिद्ध किया है कि एक समझौते को समझौते में नए पक्षों के प्रस्तावना के साथ नवीनत किया जाएगा। प्रतिवादियों ने ***संयुक्त भारत बनाम किशोरीलाल गुप्ता और ब्रदर्स (1960) 1 एससीआर 493, यंग अचीवर्स बनाम आईएमएस लर्निंग रिसोर्सेस प्रा. लि. (2013) 10 एससीसी 535, और एम.बी.एस. इम्पेक्स प्रा. लि. बनाम मिनरल्स और मेटल्स ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन (2020) 5 एएलडी 185 के मामले पर निर्भर किया।***

12.6 उच्च न्यायालय ने दोनों समझौतों के पीछे की इरादा को सही तरीके से समझा है और अपीलकर्ता की यह तर्क कि त्रैतीय समझौता एक वसूली तंत्र था, वह असत्य है और इसलिए असहज है। इसके अलावा, लेन-देन को प्रबंधित करने वाला त्रैतीय समझौता जानबूझकर लैप्स हुए शेयर खरीद समझौते का उल्लेख नहीं करता है। अपीलकर्ता को त्रैतीय समझौते में प्रतिवादी नंबर 4 द्वारा बदल दिया गया था और आईएफसीआई कैपिटल वेंचर को भी एक पक्ष के रूप में जोड़ा गया था और उसे समझौते को शुरू करने का भी अधिकार दिया गया था। इस प्रकार, त्रैतीय समझौता पूरी तरह से अलग और नया समझौता है, जो अलग पक्षों के बीच है जिसमें अलग शर्तें और स्थितियां हैं और उसमें कोई मध्यस्थता प्रावधान नहीं है।

13. प्राप्त जानकार वकीलों के साथ सुनकर, हमारे विचार में निम्नलिखित सवाल उत्पन्न होंगे:

(a) क्या उच्च न्यायालय के फैसले और आदेश को इस न्यायालय के द्वारा किसी प्रकार की हस्तक्षेप या संशोधन की आवश्यकता है?

(b) कौन सा आदेश?"

14. इस प्रतिवादी द्वारा कहा गया है कि हिस्सा खरीद के अनुबंध का नवीकरण होने के कारण, मध्यस्थ विवाद को न्यायिक माध्यम के माध्यम से हल करने के लिए मध्यस्थता

प्रावधान अब मौजूद नहीं था। दूसरी ओर, अपीलकर्ता का दावा है कि शेयर खरीद समझौते का कोई नवीकरण नहीं हुआ था और अर्बिट्रेशन प्रावधान पूरी तरह से उपलब्ध था और इसलिए, उच्च न्यायालय को मामले को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करना चाहिए था। इस संदर्भ में, इस अदालत की निम्नलिखित टिप्पणी को संदर्भित करना उपयोगी होगा:

a) **राष्ट्रीय बीमा कंपनी लि. बनाम बोगहरा पॉलीफैब प्रा. लि. (2009) 1 एससीसी 267** में, इस न्यायालय की एक बेंच **ने एसबीपी एंड कंपनी. बनाम पटेल इंजीनियरिंग लि. (2005) 8 एससीसी 618** पर व्याख्या करते हुए विचार किए हैं और 1996 के अधिनियम के अनुच्छेद 11(6) के तहत दाखिल किए जाने वाले एक आवेदन में जिन मुद्दों को विचार किया जा सकता है, उन्हें तीन श्रेणियों में विभाजित किया है। वे निम्नलिखित हैं:"

(i) जिन मुद्दों को मुख्य न्यायाधीश या उनका निर्धारण करने वाले व्यक्ति को निर्धारित करने का बाध्य होता है;

(ii) जिसे वह भी निर्धारित कर सकता है, यानी, ऐसे मुद्दे जिसे वह र्धारित करने का चयन कर सकता है या उसे अर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल द्वारा निर्धारित करने के लिए छोड़ सकता है;

(iii) जिन मुद्दों को मध्यस्थ न्यायाधिकरण पर छोड़ दिया जाएगा निर्णय लें और उसके बाद उनकी गणना इस प्रकार करें अंतर्गत:

22.1. मुख्य न्यायाधीश/उनका प्रतिष्ठान किन्हें निर्धारित करना होगा (पहली श्रेणी के):

(a) क्या वह पक्ष जो आवेदन कर रहा है, उचित उच्च न्यायालय के पास आया है?

(b) क्या वहाँ एक विवाद-निर्णय समझौता है और क्या वह पक्ष जो अधिनियम के अनुच्छेद 11 के तहत आवेदन किया है, उस समझौते का हिस्सा है?

22.2. मुख्य न्यायाधीश/उनका प्रतिष्ठान द्वारा निर्धारित किए जाने के विचार किए जा सकते हैं (या उन्हें अर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के निर्णय पर छोड़ दिया जा सकता है):

(a) क्या दावा एक मृत (दीर्घकाल) दावा है या जीवंत दावा है?

(b) क्या पक्षों ने अपने सामंजस्यिक अधिकारों और कर्तव्यों के संतोष को नोट करके या आपसी सहमति के साथ समझौता करके या बिना किसी आपत्ति के अंतिम भुगतान प्राप्त करके विवाद को समाप्त किया है।

22.3. मुख्य न्यायाधीश/उनका प्रतिष्ठान जिन मुद्दों को मध्यस्थ न्यायाधिकरण पर छोड़ दिया जाएगा लें (तीसरी श्रेणी के):

(i) क्या किसी दावा का दायरा मध्यस्थता प्रावधान के अंदर आता है (जैसे, एक मामला जो आखिरकार एक विभागीय प्राधिकृत अधिकार के लिए संरक्षित है और मध्यस्थता से बाहर है या बाहर है।)

(ii) मुद्दों में या मध्यस्थता में शामिल किसी भी दावे की गुणवत्ता।

15. पहली श्रेणी में मुद्दों के संबंध में, मुख्य न्यायाधीश या उनका प्रतिष्ठान निर्धारित करने के लिए बाध्य होते हैं। दूसरी श्रेणी के अंतर्गत आने वाले मुद्दों के संबंध में, जब वे मध्यस्थता अधिनियम के अनुच्छेद 11 के तहत के आवेदन में उठाए जाते हैं, तो मुख्य न्यायाधीश या उनका प्रतिष्ठान उन्हें निर्धारित कर सकते हैं या उन्हें मध्यस्थता अधिनियम मध्यस्थता को निर्धारित करने की दिशा में खुले छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर मुख्य न्यायाधीश या उनका प्रतिष्ठान इस मुद्दे की जाँच करने और निर्धारित कर चुका है, तो मध्यस्थता अधिनियम फिर से उसी मुद्दे की पुनरावलोकन नहीं कर सकता। तीसरी श्रेणी में उठने वाले मुद्दों के संबंध में, वे अनिवार्य रूप से मध्यस्थता अधिनियम द्वारा निर्णय किए जाने चाहिए, जैसे कि विभिन्न विशेष या मध्यस्थता से छोड़े गए मामले। इसमें मध्यस्थता में शामिल किसी भी दावे की गुणवत्ता भी शामिल होगी।

16. **विद्या द्रोलिया** (उपर्युक्त) में, यह और भी देखा गया है कि उपर्युक्त तीन श्रेणियों के संबंध में **बोगहरा पॉलीफैब प्रा. लि.** (उपर्युक्त) में। पहली श्रेणी के मुद्दों, जैसे कि, क्या पक्ष ने उचित उच्च न्यायालय के पास आवेदन किया है, क्या वहाँ एक विवाद-निर्णय समझौता है, और क्या वह पक्ष जो संदर्भ के लिए आवेदन कर रहा है, वह समझौते का हिस्सा है, उनके

तुलनात्मक जांच के अधीन होंगे जो दूसरे और तीसरे श्रेणियों/मुद्दों के साथ हैं, जिन्हें बनावट से, असामान्य मामलों को छोड़कर, मध्यस्थ को निर्णय करने का अधिकार होता है। पहली श्रेणी में, सवाल या मुद्दे उससे संबंधित होते हैं कि क्या कार्रवाई व्यक्तिगत या रीम में संबंधित है; क्या विवाद के विषय को तृतीय पक्ष के अधिकारों को प्रभावित करता है, *erga omnes* प्रभाव है, केंद्रीय न्यायिकता की आवश्यकता है; क्या विवाद के विषय को नागरिक और सार्वभौमिक हित कार्यों से जुड़ता है या आवश्यक निष्पक्षता के द्वारा असामान्य रूप से, अनवादनीय धारित किया जाता है जैसे कि अनिवार्य अधिनियमों के अनुसार। दूसरी ओर, संविदा के गठन, अस्तित्व, मान्यता और गैर-अर्बिट्रेबिलिटी से संबंधित मुद्दे संबंधित विवाद/दावों की मूल समस्याओं के साथ जुड़े होते हैं। ये तथ्यात्मक और विवादित होंगे और मध्यस्थ समिति द्वारा निर्धारित करने के लिए होंगे।

17 इसके अलावा, यह न्यायालय ने देखा कि संरेफर स्थिति में न्यायालय केवल तब हस्तक्षेप कर सकती है जब यह स्पष्ट हो कि दावे स्पष्ट रूप से समय सीमित और मृत हैं, या कोई मौजूदा विवाद नहीं है। सीमा समय के मुद्दे के संदर्भ में, इसे मध्यस्थ समिति को न्याय करने के लिए संदर्भित किया जाना चाहिए। उसी तरह का स्थिति मामले में होगा जब विवादित 'कोई दावा सर्टिफिकेट' या 'नवेशन और 'एकमति और संतोष' के प्रस्तावना के बहाने पर संरक्षित हो।

18 यह भी उपयोगी होगा कि इस न्यायालय के एक और निर्णय का संदर्भ दिया जाए, जिसमें इस न्यायालय ने **दमोदर वैली कॉर्पोरेशन बनाम के. के. कार (1974) 1 एससीसी 141** में निम्नलिखित रूप से टिप्पणी की है:

(1) एक विवाद-निर्णय प्रावधान एक समझौते की प्राधिकृत शर्त होती है जो उसके मौद्रिक शर्तों से भिन्न होती है; हालांकि यह फिर भी उसका अभिन्न हिस्सा होती है।

(2) चाहे विवाद-निर्णय प्रावधान की शर्तें कितनी भी व्यापक क्यों न हों, समझौते की अस्तित्व उसके प्रारूपण के लिए एक आवश्यक स्थिति होती है; यह समझौते के साथ नष्ट हो जाती है।

(3) समझौता नॉन ऐस्ट हो सकता है इस माने में कि यह कानूनी रूप से कभी भी अस्तित्व में नहीं आया या यह आरंभ से वैध नहीं था;

(4) यदि समझौता वैध रूप से क्रियान्वित हुआ है, तो पक्ष इसे ऐसा समझकर खत्म कर सकते हैं कि ऐसा लगता है कि वह कभी भी अस्तित्व में नहीं आया था और इसके बजाय इसके लिए एक नया समझौता प्रतिस्थापित कर सकते हैं जिसमें केवल उनके अधिकारों और दायित्वों का प्राधिकृत नियंत्रण किया जाता है;

(5) पहले मामले में, यदि मूल समझौता का कोई कानूनी अस्तित्व नहीं होता है, तो विवाद-निर्णय प्रावधान भी संचालित नहीं हो सकता है, क्योंकि मूल समझौते के साथ ही यह भी निष्क्रिय हो जाता है; जबकि दूसरे मामले में, मूल समझौता संविलीन होता है, तो मूल समझौते की विवाद-निर्णय प्रावधान भी उसके साथ ही नष्ट हो जाती है; और

(6) इन दोनों के बीच कई वर्ग होते हैं 'जो समझौते के संबंध में एक विवाद के साथ जुड़े, जैसे कि मनोधर्म, निराशा, उल्लंघन, आदि। इन मामलों में, यह समझौते का प्रदर्शन हो चुका है, लेकिन समझौता अभी भी कुछ उद्देश्यों के लिए अस्तित्व में है, इसके अंतर्गत हुआ या इसके संबंध में उत्पन्न विवादों के संदर्भ में। क्योंकि समझौता कुछ उद्देश्यों के लिए बना हुआ है, इसलिए इसका मध्यस्थता प्रावधान इन उद्देश्यों के संबंध में संचालित होता है।

यदि समझौते का प्रदर्शन समाप्त हो चुका है, तो विवादों के संदर्भ में या इसके संबंध में उत्पन्न होने वाले कुछ उद्देश्यों के लिए समझौता अभी भी अस्तित्व में हो सकता है।

19. उपर्युक्त चर्चा के दृष्टिकोण से, हम पाते हैं कि उच्च न्यायालय ने 1996 के अधिनियम के अनुच्छेद 11(6) के तहत प्रस्तावित आवेदन को खारिज करने में गलत था जो इसके प्रस्तावना पर निर्णय देने के रूप में संबंधित होता है क्योंकि यह मुद्दा पक्षों के बीच विवाद की गुणवत्ता पर भी प्रभाव डाल सकता है। इसलिए, इसे मध्यस्थ के पास इस मुद्दे पर निर्णय देने के लिए छोड़ देना चाहिए। इसलिए, उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया आलोचित निर्णय और आदेश उत्तराधिकारियों द्वारा दिया गया आलोचित निर्णय और आदेश रद्द किया जाना चाहिए।

20. नतीजतन, प्रस्तावक द्वारा दाखिल की गई यह अपील मंजूर की जाती है और उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया आलोचित निर्णय और आदेश को रद्द और खारिज किया जाता है।

21. जैसा कि इस अदालत के सामने एक एकल मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए अनुरोध किया गया था, माननीय श्री न्यायमूर्ति आर। सुभाष रेड्डी, पूर्व न्यायाधीश, भारतीय सर्वोच्च अदालत, [ईमेल आईडी - rsubhashreddy5157@gmail.com] को पक्षों के बीच विवाद को सुलझाने के लिए एकल मध्यस्थ के रूप में नियुक्त किया जाता है। रजिस्ट्री को इस आदेश की एक प्रति एकल मध्यस्थ को भेजने के लिए निर्देशित किया जाता है।

22.. दोनों पक्षों की सभी तर्क विधिक रूप से मध्यस्थ समिति के सामने संबोधित होने के लिए खुले छोड़ दिए जाते हैं।

23. यदि कोई प्रक्रिया(एं) प्रलंबित है, तो वह उपर्युक्त शर्तों में निपटाने के लिए माना जाएगा।

निधि जैन अपील मंजूर की जाती है.

रीना पाण्डेय अधिवक्ता द्वारा अनुवादित